छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रं 2-12/2006/1/6 रायपुर, दिनांक 25 मार्च, 2006

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने बाबत्।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में जनता में प्रचार–प्रसार करने के ी बहुत कुछ करना शेष है। विशेष रूप से सुदूर अंचल के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का अभाव प्रतीत होता है। इसी प्रकार जन सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय रियों का प्रशिक्षण के संबंध में जिला स्तरों पर कुछ प्रशिक्षण दिया गया है, किन्तु उसके नीचे , विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर संभवतः प्रशिक्षण अभी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया से उक्त अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के कार्य में तत्परता/कुशलता नहीं दिखाई है।

अतएव सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दृष्टि से निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए :–

राज्य स्तर पर सचिवों और कलेक्टर्स की बैठकों में सूचना का अधिकार विषय को एक स्थाई एजेण्डा के रूप में रखा जाए और प्रगति की समीक्षा की जाए।

जिला स्तर पर सभी अधिकारियों की समन्वय समिति की बैठकों में कलेक्टर द्वारा भी सूचना का अधिकार विषय को एक स्थाई एजेण्डा के रूप में रखकर नियमित रूप से समीक्षा की जाए।

विभिन्न विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष जब भी जिलों में भ्रमण पर जाये अथवा जिला स्तरीय अधिकारी तहसील और विकासखण्ड के भ्रमण अथवा निरीक्षण के लिये जावें तो वे अधीनस्थ कार्यालयों में सूचना के अधिकार के संबंध में संधारित पंजियों में प्राप्त आवेदनों एवं उसके निराकरण के संबंध में निरीक्षण करें और अपनी निरीक्षण टीप में उसका उल्लेख निश्चित रूप से किया जाए।

विभिन्न जिलों में जो प्रभारी सचिव नियुक्त किये गये है उनके भी कर्तव्य में यह शामिल किया जावे कि वे सूचना का अधिकार विषय पर जिलों में की गई कार्यवाही की समीक्षा करें।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण अथवा भ्रमण में अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार के संबंध में रवाही बरतने, आवेदकों को परेशान किए जाने की घटना अथवा जानबूझकर सूचना को छिपाने प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने पर संबंधितों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाए।

(आर0पी0 बगाई)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन